1207

हसीनुददीन खान और अन्य

बनाम

उप चकबंदी निदेशक एवं अन्य
13 सितंबर, 1979

(वाइ. वी. चंद्रचूड़, सी. जे., वी. आर. कृष्णा अय्यर, एन.एल. उनटवालीया
पी. एन. सिंहल और ए. डी. कौशल, जेजे.)

यू. पी. उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपीलों का उन्मूलन) एक्ट, 1972 एवं यू. पी. उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपीलों का उन्मूलन)(संशोधन) एक्ट, 1972 का अधि० सं०३३ (संशोधन 2–कोर्ट की संवैधानिक वैधता–न्यायालय की देरी केा क्षमा करने एवं अतिरिक्त साक्ष्य लेने की अंतर्निहित शक्तियां ।

अवधारितः न ही यू. पी. उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपीलों का उन्मूलन) एक्ट, 1962 और न ही यू. पी. उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपीलों का उन्मूलन) (संशोधन)एक्ट, 1962 असंवैधानिक है।

बॉम्बे राज्य बनाम नरोत्तमदास, [1951] एस. सी. आर. 51; यूनियन आप इंडिया बनाम मोहिन्द्रा सप्लाई कं. [1962] 3 एस. सी. आर. 497 और राम आधार सिहं रामस्वरूप एवं अन्य [1968] 2 एस. सी. आर. 95; पालन किया।

न्यायालय ने अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत एस.एल.पी. दायर करने में हुयी देरी केा माफ कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय को गुण–दोष के आधार पर और संवैधानिक बिंदुओं को छोड़कर अतिरिक्त आधारों का आग्रह करते हुए इस निर्णय को माफ कर दिया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 1394/74, 543/75 और 242/79।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 22–5–1973 से अपील की विशेष अपील सं. 26/73,682/72. और 502/72 ।

एवं

विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 2152/ 1974
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 22–5–1973 से विशेष अपील सं. 469/72।,

सीए १३९४/7 ४ में अपीलार्थियों के लिए जे. पी. गोयल और एस. के. जैन
एस. एल. पी. 2152/ ७४ में याचिकाकर्ताओं के लिए जी. एस. चटर्जी
सीए १३९४/7 ४ में आर. आर. 3 व 4 के लिए ए. पी. एस. चौहान और वी. सी. पराशर
सीए 543/75 में एस. एन. एंडले, उमा दत्ता और तारा चंद शरमा ।
सीए 242/79 में अपीलार्थी के लिए आर. एन. दीक्षित।
सी. ए. 543/ 75 में उत्तरदाता के लिए ई. सी. अग्रवाल

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था,

चंद्रचूड़, सी. जे.– बंबई राज्य बनाम नरोत्तमदास, जेठाभाई और अन्य(1), भारत संघ बनाम मोहिंद्र सप्लाई कंपनी (2) और राम आधार सिंह बनाम रामरूप सिंह और अन्य (3) में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 1962 के अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए दिए गए निर्णय के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को एक विस्तृत तर्क के बाद इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया था, कोई उप–अनुमति याचिका नहीं है। यह तर्क देना कि या तो यू. पी. उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील्स का उन्मूलन) अधिनियम, 1962 या यू. पी. उच्च न्यायालय (लेटर्स पेटेंट अपील्स का उन्मूलन) (संशोधन) अधिनियम, 1972 का अधिनियम सं० 33 असंवैधानिक है। इसलिए इन अधिनियमों को उनकी असंवैधानिकता के आधार पर चुनौती देने को खारिज कर दिया जाता है। अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उस स्थिति को बहुत निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है। तदनुसार, सिविल अपील और विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती हैं। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

तथापि, अपीलार्थी, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय से अपील करने के लिए विशेष अनुमति मांग सकते हैं। हमें यकीन है कि इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल करने में हुई देरी को माफ कर दिया जाएगा क्योंकि अपीलार्थी इस न्यायालय में इन अपीलों को दायर करके अपने उपचार का परयास कर रहे थे ।

सिविल अपील सं. 543/75 में अपीलार्थी के विद्वान वकील का कहना है कि अपीलार्थी पहले ही इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) सं. 361/1976 दायर कर चुका है, जिसमें मामले के गुण–दोष पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी गई है। उन्होंने अन्य आधारेा पर आग्रह करने के लिए इस अदालत से अनुमति मांगने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है और एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन भी दायर किया है। संवैधानिक बिंदुओं को छोड़कर, अतिरिक्त आधारों का आग्रह करने की अनुमति के लिए याचिका को एस. एल. पी. में दायर किया गया माना जाएगा। इन तीन याचिकाओं को 4–10–1979 पर खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

एसआर.